>

Title: Need to give fixed term of posting to civil servants.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित प्रशासन की धुरी माना गया है। इन सेवाओं के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून पर आधारित व्यवस्था लागू करने में ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे। कुछ समय से इन सेवाओं के अधिकारियों पर इतना अधिक मानसिक/प्रशासनिक दबाव देखा जा रहा है कि वे कुछ मामलों में हताश होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं और कुछ अधिकारी इन महत्वपूर्ण सेवाओं से त्यागपत्र देकर निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी संगठनों में नौकरी करने लगे हैं। ऐसे दृष्टांत भी मिले हैं कि एक साल में एक अधिकारी का 10 बार स्थानांतरण कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार "सिविल सर्विस बोर्ड " की स्थापना प्रदेशों में की गई है। लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हुआ।

अतः मेरी मांग है कि केन्द्र और राज्यों में लोक सेवक अधिकारियों की कार्य अवधि का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए, जिसका कड़ाई से पालन हो। यदि किसी अधिकारी द्वारा गलती की जाती है तो उन्हें स्थानांतरित करने की बजाय दंडित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।